तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.102/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए

21.7.2023

पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या–1 (विरेन्द्र सिंह पुत्र पाबुदान सिंह राजपुरोहित, जाति– राजपुरोहित, निवासी– मेन रोड थाने के पास, अनादरा, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म जोधपुर बेकरी, मेन रोड, अनादरा, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही एवं प्रतिवादी संख्या–2 (जितेन्द्र परिहार, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म जितेन्द्र एन्टरप्राईजेज, 411–बी, डी–1 रोड, भुपालपुरा, उदयपुर) उपस्थित। प्रतिवादी संख्या–3 (मनोज कुमार, खाद्य कारोबारकर्ता एवं निर्माता, GOODRICH Carbohydrater Ltd., Village Nagla, Meerut Road, Nagle, Karnal, Haryana-132037) की ओर से निर्माता फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि श्री विष्णु शर्मा पुत्र श्री त्रिलोक चन्द्र शर्मा, निवासी– अगुना बाद बोडी की ढाणी, भंकरोटा, बस्सी, जयपुर उपस्थित, जिन्होनें निर्माता फर्म का अधिकृत पत्र प्रस्तुत किया।

आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादीगण के विरुद्ध श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 16.10.2022 को फर्म जोधपुर बेकरी, मेन रोड, अनादरा में प्रतिवादी संख्या–1 (विरेन्द्र सिंह पुत्र पाबुदान सिंह राजपुरोहित) से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ Dark Compound Slab (Good Rich) का नमूना संख्या S-1894 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./1797/Act/2022/1797 दिनांक 07.11.2022 में मिथ्याछाप (Misbranded) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 21.7.2023 को प्रतिवादीगण ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। प्रतिवादीगण ने यह अनुरोध किया कि यह उनका प्रथम अपराध है, भविष्य में मिथ्याछाप खाद्य सामग्री का विक्रय नही करेंगे। निर्माता फर्म ने लेबल की त्रुटि में सुधार कर दिया, जिसकी एक प्रति न्यायालय में प्रस्तुत की है। अतः कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करावे।

हमनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा दिनांक 16.10.2022 को फर्म जोधपुर बेकरी, मेन रोड, अनादरा, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विरेन्द्र सिंह पुत्र पाबूदान सिंह राजपुरोहित से फर्म जोधपुर बेकरी, मेन रोड अनादरा

......लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.08.04 17:10:47 IST
Reason: SelfAttested

प्रा. जिला परिवहृ
सिरोही–307001

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.102/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए

में आम जन के बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ Dark Compound Slab (Good Rich) के 40 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 500 ग्राम) में से खाद्य पदार्थ Dark Compound Slab (Good Rich) के 4 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 500 ग्राम) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु गवाह के समक्ष कीमतन क्रय कर विधिवत कार्यवाही करते हुए खाद्य पदार्थ Dark Compound Slab (Good Rich) के नमूना संख्या S-1894 को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकः L.S./1797/Act/2022/1797 दिनांक 07.11.2022 के अनुसार मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी विरेन्द्र सिंह की फर्म जोधपुर बेकरी, मेन रोड, अनादरा द्वारा खाद्य पदार्थ Dark Compound Slab (Good Rich) के 500–500 ग्राम के पैक्ड पैकेटों को फूर्म जितेन्द्र एन्टरप्राईजेज से क्रय किया गया था, जो प्रतिवादी संख्या–2 (जितेन्द्र परिहार) की फर्म है तथा प्रतिवादी जितेन्द्र परिहार की फर्म जितेन्द्र एन्टरप्राईजेज द्वारा खाद्य पदार्थ Dark Compound Slab (Good Rich) के 500–500 ग्राम के पैक्ड पैकेटों को फर्म GOODRICH Carbohydrater Ltd. से क्रय किया गया था, जो खाद्य पदार्थ Dark Compound Slab (Good Rich) की निर्माता फर्म है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 27 में विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक व निर्माता के दायित्व दिये हुए है, इसके अनुसार मिथ्याछाप खाद्य सामग्री विक्रय हेतु विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक, पैकर व विनिर्माता दोषी है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण ने मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ Dark Compound Slab (Good Rich) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 52 के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ Dark Compound Slab (Good Rich) के विक्रय हेतु प्रतिवादी विरेन्द्र सिंह पुत्र पाबुदान सिंह राजपुरोहित, जाति– राजपुरोहित, निवासी– मेन रोड थाने के पास, अनादरा, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म जोधपुर बेकरी, मेन रोड, अनादरा, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 3,000/– (अक्षरे रुपये तीन हजार मात्र) की एवं प्रतिवादी जितेन्द्र परिहार, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म जितेन्द्र एन्टरप्राईजेज, 411–बी, सी–1 रोड, भूपालपुरा, उदयपुर पर राशि रुपये 4,000/– (अक्षरे रुपये चार हजार मात्र) [illegible] मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ Dark Compound Slab (Good Rich) [illegible] पैकिंग व विक्रय हेतु

......लगातार

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.08.04 17:10:47 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.102/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
	प्रतिवादी मनोज कुमार, खाद्य कारोबारकर्ता एवं निर्माता, GOODRICH Carbohydrater Ltd., Village Nagla, Meerut Road, Nagle, Karnal, Haryana-132037 पर राशि रुपये 5,000/– (रुपये पांच हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाता है कि उक्त आरोपित जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में अलग अलग Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन में जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 23.8.2023 को पेश हो। (के.आर.खौड़) अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सिरोही	

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.08.04 17:10:47 IST
Reason: SelfAttested